



बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि०

नियंत्रित कार्यालय, विधुत भवन, बेली रोड, पटना

पत्रांक-

पटना, दिनांक

T/V/Recd-1204/16(Part File)

प्रेषक,

स्टॉट चॉर्ट/

नियंत्रित द्वाक

श्री अशोक कुमार

माता- स्व० राजकुमारी देवी

स्थाई पता:-

ग्राम - धेपुरा, पो०- पण्डौल

थाना- सकरी, जिला- मधुबनी (बिहार)

वर्तमान पता:-

ग्राम - धेपुरा, पो०- पण्डौल

थाना- सकरी, जिला- मधुबनी (बिहार)

विषय:-

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव पत्र।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना के कार्यालय आदेश सं०-786 दिनांक-08.08.2014, कार्यालय आदेश सं०- 1196 दिनांक 08.12.2014, कार्यालय आदेश सं०-118 दिनांक-05.02.2015, कार्यालय आदेश सं०-275 दिनांक-17.03.2015 एवं पत्रांक 111 दिनांक 02.03.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्व० राजकुमारी देवी, भूतपूर्व संदेशवाहिका, संचरण अवर प्रमंडल, पण्डौल की सेवा अवधि में दिनांक 26.10.2016 को असाधारिक मृत्यु के फलस्वरूप आश्रित के रूप में श्री अशोक कुमार को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में औपबंधिक रूप से अस्थायी अकुशल श्रमिक (Unskilled worker) के पद पर पद्धतिगति से निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्ति किया जाता है:-

- 1 इस नियुक्ति पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation period) के दौरान एकीकृत वेतनमान रु० 7000-11500/- तदनोपरांत नियमित वेतनमान पे बैण्ड-रु० 5200-20200/- एवं ग्रेड पे-रु० 1800/- देय होगा।
- 2 बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि०, पटना के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले किसी भी कार्यालय में आपका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 3 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जिसे उभयषक्ति की ओर से 07 (सात) दिनों के पूर्व सूचना पर समाप्त किया जा सकता है।
- 4 कम्पनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्त आप पर लागू रहेगा।
- 5 आपकी नियुक्ति बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि०, पटना में अनुकम्पा के आधार पर की गई है। अतः स्व० राजकुमारी देवी, भूतपूर्व संदेशवाहिका, संचरण अवर प्रमंडल, पण्डौल के परिवार के भरण पोषण का पूर्ण उत्तरादायित्व आप पर होगा। यदि आप इस उत्तरादायित्व की अवहेलना करेंगे, तो इसे गंभीर कदाचर माना जायेगा और आपकी परिलक्षितों का एक अंश मृत कामगार के आश्रितों/सदस्यों को दे दी जायेगी अथवा आपकी सेवा भी उक्त अवहेलना के कारण समाप्त कर दी जायेगी।

- 6 यदि आपके द्वारा नियुक्ति के समय दी जानेवाली सूचना यथा नाम, उम्र, योग्यता, मृत कर्मचारी के साथ संबंध आदि कभी भी सेवाकाल में असत्य पायी जायेगी तो बिना पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- 7 अगर कंपनी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आपको इस आशय का बन्ध पत्र समर्पित करना होगा की यदि आप परिविक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व कंपनी की सेवा का त्याग करते हैं, तो कंपनी के द्वारा आप पर खर्च राशि अधिकतम ₹० 50,000/- के आप देनदार होगे।
- 8 योगदान देने के पूर्व प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि:-
- (क) वे मृतक कामगार के आश्रित हैं तथा कोई अन्य आश्रित पूर्व से अनुकूल्या के आधार पर विहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में नियोजित नहीं हैं।
 - (ख) सामुहिक जीवन वीमा का भुगतान प्राप्त हो गया है।
 - (ग) वे अपने (अविवाहित होने पर) विवाह में दहेज नहीं लेंगे/(विवाहित होने पर) दहेज नहीं लिया/दिया हैं।
 - (घ) नियुक्ति के लिए दिये गये आवेदन पत्र को सभी सूचनाये सही हैं। तथ्यों के गलत पाये जाने पर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
 - (ङ) इनके विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है तथा इन्हे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है या किसी पूर्व नियोजक द्वारा सेवा समाप्त नहीं की गई है।
 - (च) वे मृत कर्मचारी के आश्रित/परिवार का भरण पोषण करेंगे। यदि इसकी अवहेलना करें तो गंभीर कदाचार माना जायेगा तथा कारण पृच्छा पुछकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
 - (छ) मृत कामगार के पति/पत्नी या अन्य किसी सरकारी/बोर्ड के सेवा में कार्यरत नहीं हैं।
- 9 पदधार ग्रहण के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल ग्रति तथा स्वहस्ताक्षरित एवं अभिप्राप्ति छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (क) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
 - (ख) जन्म तिथि का प्रमाण पत्र।
 - (ग) असैनिक शल्य चिकित्सक/विहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- 10 योगदान के लिए कोई बात्रा भता देय नहीं होगा।
- 11 इस नियुक्ति में नयी नियुक्ति नियमावली लागू होगी।

यदि आपको उपर्युक्त शर्त मान्य हो तो दिनांक-28.07.2017 को पूर्वाहन 10.00 बजे वांछित सूचना/ कागजातों के साथ अपना योगदान महाप्रबंधक (मानव संसाधन/प्रशासन), विहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०, पटना के कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति का यह प्रस्ताव स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(आर० एन० लाल)

महाप्रबंधक (मा० सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक २५५९

पटना, दिनांक १५ अगस्त १९

प्रतिलिपि महाप्रबंधक सह मुख्य अधियंता, संचरण जौन, मुजफ्फरपुर/ विद्युत अधीक्षण अधियंता, संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर/ विद्युत कार्यपालक अधियंता, संचरण प्रमण्डल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से भी श्री अशोक कुमार को इसे हस्तगत कराने की कृपा करें।

१५०

(आर० एन० लाल)

महाप्रबंधक (मा० सं०/प्रशा०)